Consumer Affairs Victoria

तथ्यपत्रः निगमित संघ

**नए कानूनों का अनुकूलन**

1 नवम्बर 2012 को, *संस्था निगमन अधिनियम 1981 (एसोसिएशन इन्कारपोरेशन एक्ट 1981)*के स्थान पर *संस्था निगमन सुधार अधिनियम (एसोसिएशन इन्कारपोरेशन रिफ़ार्म एक्ट 2012 )* आ जाएगा। संस्थाओं को नए कानूनों का समंजन करने के लिए इस अधिनियम में संक्रमणकालीन प्रबंध'शामिल है। इनका उल्लेख नीचे किया गया है।

**निगमित संस्था की स्थिति का कथन**

पुराने अधिनियम के अर्न्तगत निगमित हुई कोई भी संस्था नए अधिनियम के अर्न्तगत भी निगमित ही रहेगी। निगमन की तिथि प्रभावित नहीं होगी और निगमन प्रमाणपत्र मान्य रहेगा।

**उद्देश्य**

नए अधिनियम के शुरू होने पर, संस्था के उद्देश्यों का कथन स्वतः ही नियमों का हिस्सा माना जाएगा।

नए अधिनियम के शुरू होने के बाद कोई भी संस्था जो पहली बार शामिल होना चाहती है उसे अलग से 'उद्देश्य का कथन' फ़ार्म भरने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसे अपने प्रस्तावित नियमों में अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए।

यदि नए कानून के शुरू होने पर कोई संस्था अपने नियमों में परिवर्तन करने के लिए आवेदन देती है तो उसे अपने नए प्रस्तावित नियमों में अपने उद्देश्यों को शामिल करना होगा।

**नियम**

नए अधिनियम की अनुसूची 1 में नए मद हैं जिन्हें नई संस्था के नियमों को अवश्य संबोधित करना चाहिए। ये हैं:

- संस्था का नाम और प्रयोजन
- सदस्यों के अधिकार व दायित्व
- त्यागपत्र व सदस्यता की समाप्ति की कार्यविधि
- सचिव की नियुक्ति व समाप्ति की प्रक्रिया
- सामान्य बैठकों और समिति की बैठकों के मिनट की तैयारी व रख- रखाव
- सदस्यों के लिए एक सामान्य बैठक में प्रस्तुत वित्तीय विवरण सहित सामान्य बैठकों के मिनट का उपयोग करने के लिए प्रावधान
- सदस्यों द्वारा समिति की बैठकों के नियमों के उपयोग का अधिकार (यदि कोई नियमों में निर्दिष्ट किया जाता है )

चाहे कोई संस्था अपने स्वयं के या मॉडल नियमों का उपयोग कर रही हो उसे नए नियमों के अनुसार उन्हें जल्दी परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

Consumer Affairs Victoria

## अपने ही नियमों का उपयोग करने वाली संस्थाएँ

यदि कोई संस्था **अपने ही नियमों** का उपयोग करती है (यानि कि मॉडल नियम नहीं ) तो मौजूदा नियम मान्य रहेंगे जब तक कि वे बदले नहीं जाते। जब एक बार सदस्य मौजूदा नियमों में परिवर्तन का निर्णय ले लेते हैं तो नए नियमों को अनुसूची 1 में अपेक्षित हर मद को संबोधित करना होगा। इस बीच यदि संस्था के नियमों व नए अधिनियम के बीच कोई विसंगति हो तो नए अधिनियम की अपेक्षाएँ लागू होंगी।

## मॉडल नियमों का उपयोग करने वाली संस्थाएँ

इन संस्थाओं को नए मॉडल नियमों की समीक्षा यह निर्णय करने के लिए करनी चाहिए कि क्या वे उनके उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।यदि ये संस्थाएं नए कानून शुरू होने के **12 महीनों** के अन्दर उपभोक्ता मामले विक्टोरिया को अपने कानूनो के बारे में नहीं बतातीं तो उनके वर्तमान नियम स्वयं ही नए मॉडल नियमों से बदल दिए जाएँगे

यदि कोई संस्था उपभोक्ता मामले विक्टोरिया को बताती है तो यहः

- नए मॉडल नियम जल्द ही अपना सकती है
- अपने स्वयं के नियम बना सकती है

1 नवम्बर 2012 से आप नए मॉडल नियम consumer.vic.gov.au/forms पर देख सकते हैं।

किसी संस्था के नियमों को (चाहे अपने या मॉडल नियम हों )अनुसूची 1 में अपेक्षित सभी मदों को संबोधित करना होगा। यदि वे नहीं करते तो उस मद को संबोधित करने वाले नए मॉडल नियमों के प्रासंगिक प्रावधान को स्वतः ही उन नियमों में शामिल हुआ माना जाएगा।

नियम बदलने के लिए और जानकारी हेतु तथ्य पत्र **एसोसिएशन रूल्स** देखें।

## सार्वजनिक अधिकारी का सचिव द्वारा बदला जाना

नए अधिनियम के अन्तर्गत 'सार्वजनिक अधिकारी ' शब्द को 'सचिव ' द्वारा बदल दिया गया है।

पुराने अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किसी भी दस्तावेज़ पर कोई असर नहीं होगा।

जब एक बार नए कानून शुरू हो जाएंगे तो सचिव सार्वजनिक अधिकारी द्वारा शुरू किए किसी भी कार्य को चालू रख सकता है या पूरा कर सकता है।उपभोक्ता मामले विक्टोरिया इसे वही व्यक्ति मानेगा अन्यथा कुछ और सूचित न किया गया हो।

Consumer Affairs Victoria

## वित्तीय विवरण

नया अधिनियम नई तीन स्तरीय रपट संरचना लागू करेगा। एक संस्था अपने राजस्व के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत की जाएगी। उदाहरण के लिए:

- प्रथम श्रेणी : $0 - $250,000
- द्वितीय श्रेणी : $250,000 - $1,000,000
- तृतीय श्रेणी : $1,000,000 से ज्यादा।

यह नई संरचना पुरानी 'निर्धारित' और 'गैर- निर्धारित' संरचना के स्थान पर है।

निगमित संस्थाओं को नए ढांचे को अवश्य समझना होगा ताकि वे यह निश्चित कर सकें कि वे किस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं क्योंकि यह उनके रिपोर्ट करने के दायित्वों को प्रभावित करेगा।
विवरण के लिए consumer.vic.gov.au/associations पर जाएँ।

## वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का नया प्रारूप

एक नवम्बर 2012 या उसके बाद उपभोक्ता मामले विक्टोरिया,संस्थाओं को वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि के साथ एक नए प्रपत्र में वार्षिक विवरण भेजेगा।

| |
|---|
| वित्तीय वर्ष 30 जून 2013 से पहले की अंतिम तिथि वाली संस्थाएँ इस नए प्रपत्र या पुराने 'निर्धारित / गैर-निर्धारित ' प्रपत्र में अपना वार्षिक विवरण भेजना चुन सकती हैं। विवरण के लिए अगला भाग देखें। |

सचिव (पूर्व सार्वजनिक अधिकारी) उपभोक्ता मामले विक्टोरिया के साथ वार्षिक विवरण जमा करवाने के लिए उत्तरदायी है।

उपभोक्ता मामले विक्टोरिया संस्था के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से एक महीना पहले वार्षिक विवरण को भेजने के बजाय यह वार्षिक विवरण प्रपत्र अब इसे **एक महीने बाद** भेजेगा। संस्था के पास अपनी वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से **पांच महीने** होंगे।

| |
|---|
| वार्षिक विवरण तैयार व प्रस्तुत करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए **वार्षिक चक्र और वित्तीय रिर्पोटिंग** तथ्य पत्र देखें। |

## विवरण प्रस्तुत करने के विकल्प

पुराने अधिनियम के अन्तर्गत निगमित कोई भी संस्था केवल 30 जून 2013 से पहले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि होने पर पुराने अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार व प्रस्तुत कर सकती है ।

उदाहरण के लिए कोई भी संस्था जिसका वित्तीय वर्ष 1जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 है, वह नई स्तरीय प्रणाली या पुरानी 'निर्धारित / गैर-निर्धारित' प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना चुन सकती है।

30 जून 2013 या उसके बाद वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि वाली संस्था को अपना वित्तीय विवरण नई स्तरीय प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई संस्था अपना वित्तीय विवरण 'निर्धारित/गैर-निर्धारित' प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत करती है तो सचिव को उपभोक्ता मामले विक्टोरिया के साथ जमा करवाने वाले प्रपत्र के लिए संपर्क करना होगा यह बताते हुए कि क्या यह संस्था 2012-2013 रिपोर्टिंग वर्ष के लिए निर्धारित या गैर-निर्धारित रूप से रिपोर्टिंग करेगी।

## चालू प्रक्रियाएँ

यदि किसी संस्था ने पुराने अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसे नया अधिनियम शुरू होने से पहले अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, उन्हें नए अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत बनाया गया माना जाएगा।

उपभोक्ता मामले विक्टोरिया अधिकतम आवेदनों पर बिना कोई और जानकारी मांगे पुराने अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया करने में सक्षम होगा। हालांकि अधिक विवरण की आवश्यकता होने पर हम संस्था को बताएँगे।

पुराने अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया कोई भी समाधान, नियुक्ति या सूचना नए अधिनियम के अन्तर्गत मान्य होगी।

उपभोक्ता मामले विक्टोरिया द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई नए अधिनियम के अन्तर्गत की गई मानी जाएगी।

## अधिक जानकारी चाहिए ?

### उपभोक्ता मामले विक्टोरिया

उपभोक्ता मामले विक्टोरिया,विक्टोरिया में निगमित संस्थाओं को पंजीकृत व नियंत्रित करता है और निगमित संस्था कानून को प्रशासित करता है।

वेब : consumer.vic.gov.au/associations

फ़ो : 1300 55 81 81

### पिल्च कनेक्ट

पिल्च कनेक्ट एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी संगठन है जो सामुदायिक समूहों को विशेषज्ञ कानूनी सेवा व परामर्श प्रदान करता है।

वेब : pilchconnect.org.au

फ़ो : 03 8636 4400